

## आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132

### प्रलिस के लिये:

[मौलिक अधिकार](#), [आयकर अधिनियम, 1961](#), [सर्वोच्च न्यायालय](#), [नजिता का अधिकार](#), [वेडनसबरी सदिधांत](#), [आनुपातकता का सदिधांत](#)

### मेन्स के लिये:

पुट्टस्वामी नरिणय तथा उसके बाद व्यक्तगित स्वतंत्रता की समझ में परिवर्तन, व्यक्तगित अधिकारों के साथ वधिपरवर्तन आवश्यकताओं को संतुलित करना

[स्रोत: द हदि](#)

### चर्चा में क्यों?

[न्यायमूर्ति के.एस.पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ, 2017](#) मामले में ऐतहासिक नरिणय ने [नजिता को मौलिक अधिकार](#) घोषित किया। हालाँकि भारत में [आयकर अधिनियम, 1961](#) की धारा 132 द्वारा दी गई अतरिकित-सांविधानिक शक्तियों के संबंध में चर्चा सामने आई है क्योंकि वे नागरिकों के [मौलिक अधिकारों](#) का हनन करती प्रतीत होती हैं।

### आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 क्या है?

- यह धारा वर्ष 1961 में आयकर अधिनियम, 1961 के भाग के रूप में, आय पर कराधान (अन्वेषण आयोग) अधिनियम, 1947 को प्रतस्थापित करने के लिये प्रस्तुत की गई थी जसि [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने [\[1997\] 2 SC 1000](#) (1997) में रद्द कर दिया था क्योंकि न्यायालय के अनुसार इसमें करदाताओं के एक नश्चित वर्ग के साथ अन्य की तुलना में वशिष व्यवहार का प्रावधान था जसिसे [संविधान के अनुच्छेद 14](#) में नहिति [एकसमान व्यवहार की गारंटी](#) का हनन हुआ।
  - वर्ष 1922 में प्रस्तुत मूल आयकर कानून में खोज तथा ज़बती शक्तियों का अभाव था।
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132, [कर अधिकारियों](#) को [बना कसिी पूर्व न्यायिक वारंट](#) के व्यक्तियों तथा संपत्तियों की [खोज/तलाशी एवं ज़बती](#) करने का अधिकार देती है यदित्तिके पास [“संदेह करने का कारण”](#) है कव्यक्तने आय छुपाई है अथवा चोरी की है।
  - यह अधिकारियों को वत्तीय संपत्ति छिपाने के संदेह के आधार पर भवन, स्थानों, वाहनों अथवा वमिनों की तलाशी लेने की शक्ति प्रदान करता है।
  - संबद्ध अधिकारी इस अधिनियम के तहत तलाशी अथवा सर्वेक्षण के दौरान कसिी भी व्यक्तके कब्जे में पाई गई ऐसी वस्तुओं को ज़बत कर सकते हैं। [तलाशी के दौरान](#) खोजी गई बहीखाते, धन, बुलयिन, आभूषण अथवा अन्य मूल्यवान वस्तुओं को ज़बत करने की अनुमति देता है।

### आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 से संबंधित मामला

- [पूरन मल बनाम नरीक्षण नदिशक \(1973\)](#):
  - अमुक प्रावधान की सांविधानिकता को [पूरन मल बनाम नरीक्षण नदिशक \(1973\)](#) मामले में चुनौती दी गई थी।
    - सर्वोच्च न्यायालय ने [एम.पी. शर्मा बनाम सतीश चंद्रा \(1954\)](#) में अपने नरिणय का हवाला देते हुए [कानून को बरकरार रखा](#) और तर्क दिया कि [खोज व ज़बती की शक्तिसामाजिक सुरक्षा के बचाव के लिये आवश्यक](#) है एवं वधिद्वारा वनियमित है।
    - अदालत ने यह भी कहा कि [संविधान तलाशी और ज़बती के बारे में अमेरिकी चौथे संशोधन के समान नजिता के मौलिक अधिकार को मान्यता नहीं देता है](#)।
      - अमेरिकी चौथा संशोधन सरकार द्वारा [अनुचित तलाशी और ज़बती](#) से बचाता है।
    - यह नषिकर्ष नकाला गया कि तलाशी के लिये [वैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 20\(3\)](#) के तहत संविधानिक सुरक्षा को पराजति नहीं करते हैं।
  - [एम.पी. शर्मा](#) मामले में [फैसला आपराधिक प्रक्रिया संहिता](#) के तहत तलाशी से संबंधित था, जबकि [आयकर अधिनियम](#) के तहत तलाशी

के लिये न्यायिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है।

- एम.पी. शर्मा के फैसले को औपचारिक रूप से खारज कर दिये जाने के बाद से कानून के बारे में न्यायालय की समझ बदल गई है। नजिता का अधिकार अब संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में अंतर्नहित माना जाता है।

## आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 के संबंध में क्या चुनौतियाँ हैं?

### ■ आनुपातिक सिद्धांत का उल्लंघन:

- आयकर अधिनियम की धारा 132, औपचारिक रूप से चुनौती नहीं दिये जाने के बावजूद, आनुपातिकता के सिद्धांत के संभावित उल्लंघन का सुझाव देती है।
  - तलाशी और ज़ब्त करने की राज्य की शक्तों को अब सामाजिक सुरक्षा के एक सरल उपकरण के रूप में नहीं देखा जाता है, बल्कि यह आनुपातिकता के सिद्धांत के अधीन है। इसका मतलब यह है कि इसका उपयोग एक वैध उद्देश्य के लिये किया जाना चाहिये, तर्कसंगत रूप से अपने उद्देश्य से जुड़ा होना चाहिये, कोई वैकल्पिक कम दखल देने वाला साधन उपलब्ध नहीं होना चाहिये और चुने गए साधनों तथा उल्लंघन किये गए अधिकार के बीच संतुलन होना चाहिये।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य आयकर नदिशक बनाम लालजीभाई कांजीभाई मांडलिया, 2022 के मामले में “वेडनसबरी (Wednesbury)” अवधारणा पर नरिभरता प्रदर्शित की, जो ब्रिटन की अदालत के फैसले से लिये गया प्रशासनिक समीक्षा का एक मानक है, जिसमें तलाशी को न्यायिक नहीं बल्कि प्रशासनिक माना गया है।
    - वेडनसबरी सिद्धांत कहता है कि यदि कोई नरिणय इतना अनुचित है कि कोई भी समझदार प्राधिकारी इसे कभी नहीं ले सकता है, तो ऐसे नरिणय न्यायिक समीक्षा के माध्यम से रद्द किये जा सकते हैं।
  - आलोचकों का तर्क है कि पुट्टस्वामी के बाद, वेडनसबरी मानदंड का कोई स्थान नहीं है, खासकर जहाँ बुनियादी अधिकार खतरे में हैं और किसी भी कार्यकारी कार्रवाई को वैधानिक कानून का सबसे सख्त अर्थ में पालन करना चाहिये।

### ■ नजिता के अधिकार का हनन:

- नजिता का अधिकार, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक बुनियादी अधिकार है, अनुचित तलाशी और ज़बती के साथ-साथ गोपनीय रूप से व्यक्तिगत जानकारी से सुरक्षा प्रदान करता है।
- हालाँकि आयकर की जाँच व्यक्तियों की सहमतियों के बिना उनकी गोपनीयता में हस्तक्षेप करती है, जो प्रायः अस्पष्ट आधारों पर आधारित होती है, जिससे संभावित दुरुपयोग होता है।
- इसके अतिरिक्त, दुरुपयोग को रोकने और I-T जाँचों के अधीन व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिये पर्याप्त सुरक्षा उपायों तथा नरीक्षण तंत्र की कमी है।
  - कड़े सुरक्षा उपायों के अभाव के कारण व्यक्तियों को कर अधिकारियों द्वारा शक्तों के संभावित दुरुपयोग के लिये उजागर किया जाता है।

### ■ जाँच की अवधि और शर्तें:

- गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा उस छापेमारी पर सवाल उठाना जहाँ व्यक्तियों को कथित तौर पर उचित सुरक्षा उपायों के बनिफ़िट दानों तक आभासी हरिसत में रखा गया था, ऐसी खोजों की अवधि और शर्तों से संबद्ध चिन्ताओं को उजागर करता है।

## आगे की राह

- धारा 132 के आवेदन की समीक्षा करने, वैजबरी सिद्धांत से हटकर कार्यकारी कार्यों की आनुपातिकता का आकलन करने के लिये अधिक कठोर जाँच मानक अपनाने में न्यायपालिका की भूमिका बढ़ाने की आवश्यकता है।
- शिकायतों की जाँच करने, जवाबदेही सुनिश्चित करने और शक्तियों के संभावित दुरुपयोग के मामलों में सुधारात्मक उपायों की सफ़ारिश करने के अधिकार के साथ एक स्वतंत्र नरीक्षण तंत्र या लोकपाल स्थापित करने की आवश्यकता है।
- IT जाँच भी जाँचों की अवधि और सीमा के संदर्भ में सीमिति होनी चाहिये।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न

?????????:

Q1. भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 'नजिता का अधिकार' संरक्षित है? (2021)

- (a) अनुच्छेद 15
- (b) अनुच्छेद 19
- (c) अनुच्छेद 21
- (d) अनुच्छेद 29

उत्तर: (c)

**Q2. नजिता का अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपर्युक्त कथन को सही एवं समुचित ढंग से अर्थति होता है? (2018)**

- (a) अनुच्छेद 14 एवं संविधान के 42वें संशोधन के अधीन उपबंध।
- (b) अनुच्छेद 17 एवं भाग IV में दिये राज्य के नीतिनिर्देशक तत्त्व।
- (c) अनुच्छेद 21 एवं भाग III में गारंटी की गई स्वतंत्रताएँ।
- (d) अनुच्छेद 24 एवं संविधान के 44वें संशोधन के अधीन उपबंध।

उत्तर: (c)

**??????**

**Q.1 नजिता के अधिकार पर उच्चतम न्यायालय के नवीनतम नरिणय के आलोक में, मौलिक अधिकारों के वसितार का परीक्षण कीजिये। (2017)**

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/section-132-of-the-income-tax-act,1961>

